तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियज्स जज **सैशन प्रकरण सं0–11/15, सरकार बनाम जोगेन्द्रसिंह आदि**	
17.08.19	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। सभी अभियुक्तगण वर जमानत मय अधिवक्ता श्री एन एस कामरा उपस्थित। शेष अभियुक्तगण की ओर से श्री एन एस कामरा ने वकालतनामा पेश किया। बहस चार्ज गत पेशी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपर लोक अभियोजन ने अपनी बहस में कहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी मुलजिमान के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 447, 427, 450, 323, 324 व 325 भा.दं.सं. का अपराध एवं मुलजिम गुरदाससिंह के खिलाफ उक्त अपराधों के साथ धारा 27 आयुध अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। मुलजिमान के खिलाफ उक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अतः अभियुक्त गुरदाससिंह के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 447, 427, 450, 323, 324, 325 भा.दं.सं. व धारा 27 आयुध अधिनियम एवं शेष अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 447, 427, 450, 323, 324 व 325 भा.दं.सं. के आरोप विरचित कर सुनाये जावे जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में कहना है कि आहतगण के ऐसी कोई चोट नहीं है जिससे माना जा सके कि मुलजिमान का आशय या ज्ञान आहतगण की मृत्यु कारित करना हो। आहतगण के मार्मिक भाग पर भी कोई चोट नहीं है। विवादित स्थल पर मुलजिमान पक्ष का कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिमान के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। अतः मुलजिमान को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से उन्मोचित किया जावे। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये :– 1. 2017 (2) Cr. L.R. (Raj.) 552, Jai Singh Gurjar & Ors Versus State of Rajasthan & Anr. 2. 1995 Cr.L.R. (Raj.) 139, Kamla Prasad & Ors. Versus State of Rajasthan 3. 2000 (2) R.C.C. 1147, Satyendra Chandra & Anr. Versus State of Rajasthan	

4. Cr.L.R. (Raj.) 1984, Raja @ Rajendra Prasad Versus State of Rajasthan

5. 2010(2) CJ(Cri.) (SC) 372, P. Vijayan Versus State of Kerala & Anr.

6. 1996 Cr. L. R. (SC) 505, Satish Mehra Versus Delhi Administration & Anr.

7. 1987 Cr. L. R. (SC) 1, Rakesh Sexena Versus State through C.B.I.

8. 2010 Cr.L.R. (SC) 8, Arulvelu & Anr. Vs State represented by the Public Prosecutor & Anr.

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि गवाह गुरमीतसिंह के पर्चा बयान व महेन्द्रसिंह, रामकिशन, गुरनामसिंह, लक्ष्मणराम, नवदीपसिंह, राजेन्द्रपालसिंह, संदीपसिंह, शीतलकौर, मलकीतसिंह व दर्शनसिंह के बयानों से यह स्पष्ट है कि जोगेन्द्रसिंह, गुरदाससिंह, अवतारसिंह, भगवानसिंह, चमकौरसिंह, लखविन्द्रसिंह, पप्पू उर्फ निरंजनसिंह, गुरदीपसिंह व करीब 100 आदमी दो तीन गाड़ियों में सवार होकर गुरमीतसिंह की ढाणी में आये व आते ही गुरदाससिंह ने पिस्टल से फायर किये व 10–15 आदमियों ने गुरमीतसिंह पर लाठियों से हमला कर दिया एवं गुरमीसिंह को टेक्टर से नीचे पटककर उसकी ढाणी की तरफ ले गये तथा 50–60 आदमियों ने उसकी ढाणी पर हमला कर दिया तथा सभी मुलजिमान गुरमीतसिंह के पूरे परिवार के साथ मारपीट करने लगे एवं घायल कर दिया। मुलजिमान ने गुरमीतसिंह की ढाणी में तोड़फोड़ की तथा घर में रखा सामान तोड़ दिया। इस प्रकार उक्त गवाहान के बयानों से यह स्पष्ट है कि मुलजिम गुरदाससिंह द्वारा गुरमीतसिंह पर पिस्टल से फायर किया गया जिससे गुरमीतसिंह के बांये हाथ की मिडल फिंगर व रिंग फिंगर पर गंभीर उपहति कारित हुई जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन गुरदाससिंह से होती है और उपरोक्त चोटें गंभीर प्रकृति की थी, इसकी पुष्टि एक्स–रे रिपोर्ट से भी होती है।

इस प्रकार इस प्रकरण में गुरदाससिंह द्वारा पिस्टल से फायर इस आशय व ज्ञान से किया गया था कि यदि इससे गुरमीतसिंह की मृत्यु कारित हो जाती तो वह हत्या की कोटि में आने वाला अपराध कारित होता। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मुलजिम गुरदाससिंह का उपरोक्त कृत्य धारा 307 व अन्य सभी मुलजिमान का सामान्य उद्वेश्य गुरमीतसिंह की हत्या करने का प्रयास था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि सभी मुलजिमान के द्वारा गुरमीतसिंह की कब्जाशुदा ढाणी में घुसकर दर्शनसिंह, नवजोतसिंह, शीतलकौर, संदीपसिंह, मलकीतसिंह, गुरमीतसिंह, राजेन्द्रपालसिंह के साथ कुंद व धारदार हथियारों से चोटें कारित की गई थी जिसमें से दर्शनसिंह के सभी चोटें कुंद हथियार से, दर्शनसिंह के बांये हाथ पर गंभीर प्रकृति की, इसी प्रकार नवदीपसिंह के साधारण व कुंद हथियार से चोट कारित की गई, शीतलकौर के कुंद हथियार से व साधारण उपहति, संदीपसिंह के धारदार हथियार से साधारण उपहति व कुंद हथियार से गंभीर उपहति कारित की गई। इसी प्रकार मलकीततसंह के धारदार हथियार से साधारण उपहति व कुंद हथियार से गंभीर उपहति कारित की गई थी। गुरमीतसिंह के आयुध हथियार से साधारण व गंभीर उपहति व राजेन्द्रपालसिंह के कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित की गई थी एवं सभी मुलजिमान ने घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमान का गठन किया एवं उक्त विधि विरूद्व जमाव के सामान्य उद्वेश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं मजरूब गुरमीतसिंह की ढाणी में रखे सामान को तोड़कर रिष्टि कारित की।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मुलजिम गुरदाससिंह के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 447, 427, 450, 323, 324 व 325 भा.दं.सं. व धारा 27 आयुध अधिनियम एवं शेष अभियुक्तगण गुरजंटसिंह, सुखदीपसिंह, दर्शनसिंह, विधावानसिंह, जग्गातिसंह, जगसीरसिंह, नक्षत्रसिंह, शमशेरसिंह, खेतासिंह, बिंटूसिंह, सुखदेवसिंह, बलजीतसिंह, बलवीरसिंह, गुरदीपसिंह, अमनदीपसिंह, जोगेन्द्रसिंह व

अवतारसिंह के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 447, 427, 450, 323, 324 व 325 भा.दं.सं. के आरोप विरचित किये जाने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से जो उपरोक्त ससम्मान न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं, वे प्रकरण के तथ्य भिन्नता के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

मुलजिम गुरदाससिंह को धारा 147, 148, 307 विकल्प में 307/149, 427 विकल्प में 427/149, 447, 450, 323 विकल्प में 323/149, 324 विकल्प में 324/149, 325 विकल्प में 325/149 भा.दं.सं. व धारा 27 आयुध अधिनियम एवं शेष अभियुक्तगण गुरजंटसिंह, सुखदीपसिंह, दर्शनसिंह, विधावानसिंह, जग्गातिसंह, जगसीरसिंह, नक्षत्रसिंह, शमशेरसिंह, खेतासिंह, बिंटूसिंह, सुखदेवसिंह, बलजीतसिंह, बलवीरसिंह, गुरदीपसिंह, अमनदीपसिंह, जोगेन्द्रसिंह व अवतारसिंह को धारा 147, 148, 307 विकल्प में 307/149, 427 विकल्प में 427/149, 447, 450, 323 विकल्प में 323/149, 324 विकल्प में 324/149, 325 विकल्प में 325/149 भा.दं.सं. के आरोप अलग से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक ..... को पेश हो।